संख्या- 44 /2018/आ0मि0-227/96-आयुष-2-2018-12(आ0मि0)/2018

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 29 मार्च, 2018

विषय- राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनान्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की स्वीक़ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-645/84/मि0नि0/2017-18, दिनॉक 23 मार्च,2018, पत्र संख्या-644/84/मि0नि0/2017-18, दिनॉक 23 मार्च,2018, पत्र संख्या-613/90/ मि0नि0/ 2017-18, दिनॉक 19 मार्च,2018, पत्र संख्या-655/162/मि0नि0/2017-18, दिनॉक 24 मार्च,2018, पत्र संख्या-551/149/मि0नि0/2017-18, दिनॉक 07 मार्च,2018 एवं पत्र संख्या-507/147/मि0नि0/2017-18, दिनॉक 20 फरवरी, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समिति द्वारा राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, राजकीय यूनानी चिकित्सालय तथा राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं राजकीय यूनानी महाविद्यालय के आगणनों पर विचारोपरान्त संलग्न सूची के कालम-2 में अंकित चिकित्सालय/महाविद्यालय के सम्मुख अंकित कालम-4 के आगणन की धनराशि कालम-5 में अंकित धनराशि मूल्यांकित करते हुए कालम-6 में अंकित धनराशि स्वीकृति हेतु की गई संस्तुति के क्रम में कुल मूल्यांकित धनराशि रू0 749.66 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं कालम-6 में अंकित कुल धनराशि रू0 439.83 लाख की वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2017-18 में आपके निवर्तन पर राज्य आयुष सोसायटी के बचत खाते में रखी गयी धनराशि में से व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो/मदो में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदो पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समायावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।
3- अवमुक्त धनराशि का अहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते मे नही रखा जायेगा।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 03-08-2017 में उल्लिखित दिशा-निदेर्शो को पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से मिशन निदेशक, द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

6- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन की जा रही है कि इस प्रायोजना पर अगामी वित्तीय स्वीकृति तभी प्रदान की जायेगी, जब इस धनराशि एवं पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

7- प्रश्नगत कार्य में सुसंगत नियमों का अनुपालन मिशन निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय राज्य आयुष सोसायटी के बचत खाते में मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसायटी के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03-08-2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या-44/2018/आ0मि0 227(1)/96-आयुष-2-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, होम्योपैथी उ0प्र0 लखनऊ।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
5- उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
6- यू0पी स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लि0।
7- उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8- वित्त प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसायटी।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग 1/2
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या–44 / 2018 / आ0मि0–227 / 96–आयुष–2–2018–12(आ0मि0) / 2018
दिनांक 29 मार्च, 2018 का संलग्नक।

(रूपये लाख में)

क्र0 सं0	चिकित्सालय / महाविद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	आगणन की धनराशि	मूल्यांकन की धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	रा0आ0चि0 चन्द्रावल, लखनऊ (15 शैय्यायुक्त)	उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0	75.00	75.00	37.50
2	रा0आ0चि0 गढा, लखनऊ (04 शैय्यायुक्त)		15.00	15.00	15.00
3	रा0आ0चि0 हरचन्दपुर, रायबरेली(04 शैय्यायुक्त)		15.00	15.00	15.00
4	रा0आ0चि0 नवाबगंज, उन्नाव (04 शैय्यायुक्त)		15.00	15.00	15.00
5	रा0 डा0 बृजकिशोर हो0मे0कालेज, फैजाबाद	यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लि0	177.64	177.64	88.82
6	रा0हो0चि0 पी0एल. शर्मा, मेरठ		20.00	15.00	15.00
7	रा0हो0चि0 बटजेबरा, मेरठ		20.00	15.00	15.00
8	रा0यू0चि0 मोहम्मदपुर कीरत, बाराबंकी		20.00	15.00	15.00
9	रा0यू0 मेडि0 कालेज, इलाहबाद	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	40.21	40.00	40.00
10	रा0आ0महाविद्यालय, लखनऊ		189.38	189.38	94.69
11	रा0 डा0 बृजकिशोर हो0मे0कालेज, फैजाबाद		177.64	177.64	88.82
		योग–		749.66	439.83

(लक्ष्मण सिंह)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in